रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र.स्था / 2010 / 1566 जबलपुर, दिनांक 22 / 12 / 10

प्रति,

डॉ. मुकेश जैन
निलम्बित फोटोग्राफर
प्रा.भा.इति.पुरातत्व विभाग
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

विषयः– आरोप पत्र।

संदर्भः– इस कार्यालय के आदेश क्र.स्था / .1306 दिनांक 23 / 10 / 10

उपर्युक्त संदर्भित आदेश द्वारा आपको निलम्बित किया गया है। आप पर जो आरोप लगाये गये है उसकी सूची संलग्न है। आप अपना उत्तर इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें। समयावधि के भीतर यदि आपका उत्तर प्राप्त नही होता है तो यह माना जायेगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाये गये है वह सही है एवं आपको अपने उत्तर में कुछ नही कहना है।

संलग्न आरोप पत्रः–

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

आरोप पत्र

आदेश क्र.स्था/1306,दिनांक 23/10/10 के तारतम्य में आप श्री मुकेश जैन निलम्बित फोटोग्राफर,(प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग) को आरोपित किया जाता है कि:–

1. थाना लार्डगंज जबलपुर के पत्र क्र./पी.एस./लार्डगंज/जबलपुर/सीआर 401/13105 दिनांक 23/09/05 के अनुसार अपराध क्र.401/5 धारा 420, 509, 410, 506, आपके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत किया गया है। लार्डगंज थाना जबलपुर,के पत्र दिनांक 20/9/07 के अनुसार आपको अपराध क्रमांक 401/5 में आपको दिनांक 2/10/05 को गिरफ्तार किया गया था। थाना लार्डगंज जबलपुर के पत्र क्र.पीएस./लार्डगंज/जे.बी.पी./सीआर.410/105 दिनांक 10/10/05 के अनुसार मुचलके पर रिहा किया गया है। उक्त अपराध से सम्बधित समस्त जानकारी आपनें कार्यालय को नही बताई है।(संलग्न)2. आपको विश्वविद्यालय से कई बार कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया गया है। बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये अनुपस्थित रहना एवं विलम्ब से कार्यालय में आना आपकी आदत बन गई है।
2. आपके विरूद्व आई.पी.सी. की धारा 420 एवं 509 के तहत जॉच चल रही है। एवं आपके विरूद्व एक महिला सुश्री सीमा जैने ने छेड़–छाड का आरोप लगाया है। जिसके तहत आपको गिरफ्तार कर आई.पी.सी. की धारा 420 एवं 500 के तहत दिनांक 28/09/05 से 60 दिनों की जमानत मंजूर की गई है।
3. आपको विश्वविद्यालय से कई बार कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर नोटिस दिया गया है। बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किये अनुपस्थित रहना एवं विलम्ब से कार्यालय में आना आपकी आदत बन गई है।
4. विभागाध्यक्ष प्रा.भा.इतिहास द्वारा आपकी शिकायत की गई कि आप अपने कार्य के प्रति सजग नही है और न ही आपका व्यवहार ठीक है। इस सम्बध में आपको दिनांक16/12/06 को पत्र दिया गया कि विभागाध्यक्ष के साथ आपने जो गलत आचरण किया है वह विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम क्र. 31 के विरूद्व है । आपको जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसका उत्तर आपने नही दिया आप बहाना बना रहे है कि आपको पत्र नही मिला। (संलग्न)
5. आपको उपरोक्त विद्युत चोरी के आरोप में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत विद्युत विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है । इस संबध में कमांक स्था0/2008/624, दिनांक 25.6.08 विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस दिया गया ।(संलग्न)
6. विभागाध्यक्ष से दुर्व्यवहार करने के सम्बध में विश्वविद्यालय परिनियम क्र.31 की कंडिका 13 के तहत आपको दिनांक 29.10.2007 पत्र कमांक/स्था0/07/912 अंतिम कारण बताओ नोटिस दिया गया। (संलग्न)
7. आपके भाई की पत्नी श्रीमती राजुल जैन ने शिकायत की है कि आप उनके पति एवं उनके परिवार को प्रताडित कर रहे है।
8. आपके विरूद्ध थाना लार्डगंज जिला जबलपुर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंर्तगत धारा 323,354,506,294, ए. सू.रि.स. 311 दिनांक 17/06/08 को पंजीबद्ध कर अपराध कायम किया गया है। (संलग्न)
9. आपके विरूद्ध श्री चन्द्र कुमार जैन ने शिकायत की है कि वह आपकी अपराधिक गतिविधियों से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित है।

इस सम्बध में आपको यह आरोप पत्र दिया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित अपराधों के कारण एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्यों न विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम क्र.31 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार आपकी सेवायें समाप्त की जायें। आप अपना उत्तर इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर स्थापना विभाग में प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर।